

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-2

संख्या: /VII-A-2/2020-16 (सिडकुल)2019

देहरादून : दिनांक: 27 जनवरी, 2020

अधिसूचना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति (संशोधित)-2019 के अधीन एकीकृत औद्योगिक आस्थान, काशीपुर जिला-ऊधम सिंह नगर में सगन्ध फसल के व्यवसाय/कृषिकरण की व्यापक सम्भावना के दृष्टिगत, कृषकों द्वारा उत्पादित विभिन्न सगन्ध प्रजातियों/सगन्ध पौध/जड़ी-बूटी पर आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्लस्टर के माध्यम से कृषकों की आय में अभिवृद्धि तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न चिन्हित भूखण्डों पर अरोमा उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु "अरोमा पार्क" की स्थापना किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

गांव/आस्थान का नाम	खसरा नं० एवं प्लॉट संख्या
ग्राम-दोहरी वकील, काशीपुर एकीकृत औद्योगिक आस्थान, काशीपुर ऊधम सिंह नगर, (एस्कार्ट फार्म) (कुल भूमि/क्षेत्रफल-41.09 एकड़)	खसरा संख्या-14, 16, 18, 73, 74, 75, 76, 77 तथा 78 में स्थित- सेक्टर-1 के प्लॉट संख्या- 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, 14C, 15, 15A, 15B, 15C, 16, 16A, 16B, 16C, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 21A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव

संख्या: 222 (1)/VII-A-2/2020-16(सिडकुल)/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को आगामी सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ।
8. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर को अधिसूचना को शासकीय अधिसूचना की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. गार्ड फाईल।

(उमेश नारायण पाण्डेय)  
अपर सचिव